फर्द अहकाम

[नियम 26]

ालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर

.... बनाम ....

मुकदमा ....नं० ....सन् ....

रीख ुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2-5-24 [illegible] पुर्ण। उभय पक्ष उप०। ठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक ....11-6-24.... को पेश हो। रीडर	
11.6.24	पत्रावली पेश हुई तहसीलदार अलवर रिपोर्ट प्राप्त विशेष पुस्तक से लिखवाया जाकर विशेष प्रति तहसीलदार अलवर को भिजवाई जाकर पत्रावली नम्बर से कम हो बाद तकमील पत्रावली पत्रावली दाखिल दाखिल दफ्तर होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी –श्री प्रतिक जुईकर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03/12	01.08.2022	136 LR Act	11.06.2024

बउनवान

1–नितिन कुमार पुत्र ओमप्रकाश मुखीजा पौत्र घनश्याम जाति खत्री निवासी सरदार कॉलोनी एरोड्रम रोड शहर तहसील अलवर जिला अलवर (राज०)

प्रार्थी

बनाम,

1– राजस्थान राज्य तहसीलदार साहब, अलवर लैण्ड होल्डर, तहसील अलवर जिला अलवर राज०

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया आराजी खसरा नंबर साबिक 544 रकबा 2 बीघा हाल खसरा नंबर 793 रकबा 0.51 है० वाके भण्डवाडा तहसील अलवर मे वाके हैं बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारी व अधिकारीगण ने संवत 2051–70 में उक्त खसरा नंबर साबिक 544 रकबा 2 बीघा हाल खसरा नंबर 793 रकबा 0.51 है0 बन्दोबस्त विभाग ने घनश्यामलाल पुत्र केवलराम मुखीजा दर्ज की हैं जबकि घनश्याम की जाति दर्ज नहीं की हैं व अन्य रेवेन्यू रिकार्ड में घनश्याम पुत्र केवलराम मुखीजा जाति खत्री दर्ज की है लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने इस खाता नंबर में घनश्याम की जाति दर्ज नहीं की है जमाबंदी संवत 2069–74 में आराजी खसरा नंबर हाल 793 रकबा 0.51 है० घनश्यामलाल पुत्र केवलराम हिस्सा पूर्ण जाति पंजाबी जाट दर्ज किया हैं जो खिलाफ मौका किया है। धनश्यामलाल का नाम घनश्याम है जिसकी जाति पंजाबी जाट नही है बल्कि जाति खत्री है उक्त घनश्याम ने मिन प्रार्थी के पक्ष में उक्त आराजी खसरा नंबर हाल 793 रकबा 0.51 है० व अन्य आराजीयात के बाबत दान पत्र तारीख 21–01–2020 को तहरीर तकमील कराकर उप पंजीयक महोदय अलवर से तारीख 21–01–2020 को पंजीबद्ध करा दिया है। लेकिन उक्त आराजी खसरा नंबर 793 रकबा 0.51 है० घनश्याम पुत्र केवलराम हिस्सा पूर्ण जाति पंजाबी जाट कागजात माल में दर्ज होने से मिन प्रार्थी के पक्ष में इन्तकाल दर्ज व स्वीकार तहसीलदार अलवर नही कर रहे है व कह रहे है कि घनश्याम की जाति इस

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

सरा नंबर में पंजाबी जाट हैं यह कि बाद तहरीर दान पत्र उक्त घनश्याम का स्वर्गवास हो गया है मिन प्रार्थी ने उक्त आराजी खसरा नंबर 793 रकबा 0.51 है० की जमाबंदी हाल ही में प्राप्त की हैं तब मिन प्रार्थी को पता चला है कि रैवेन्यू रिकार्ड में घनश्याम की जाति पंजाबी जाट दर्ज की हैं जिससे घनश्याम की जाति पंजाबी जाट के स्थान जाति खत्री दर्ज होनी चाहिय व घनश्यालाल के स्थान पर घनश्याम दर्ज होना चाहिये मिन प्रार्थी तहत अदालत में उक्त घनश्यामलाल के स्थान पर घनश्याम व घनश्याम की जाति पंजाबी जाट के स्थान पर जाति खत्री दर्ज कराने के बाबत तारीख 29–07–2022 को व इससे पूर्व भी गया लेकिन तहत अदालत ने अदालत श्रीमान से आदेश कराकर लाने के बाबत कहा। जिससे यह प्रार्थना पत्र बिला देरी के पेश है। यह कि उक्त इन्द्राज कागजात माल में कायम रहने से मिन सायल के हकूक खातेदारी जायल होकर खतरे पड जाने का अदेशा है। जिससे प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बन्दोबस्त विभाग 2051–70 में उक्त आराजी खसरा साबिक 544 रकबा 2 बीघा व हाल खसरा नंबर 793 रकबा 0.51 है० जो घनश्यामलाल के स्थान पर घनश्याम की खातेदारी की आराजी हैं इसमें सहबन से घनश्याम के स्थान पर घनश्यामलाल दर्ज किया है वो दुरुस्त किया जावे यानि घनश्याम दर्ज किया जावे व जाति पंजाबी जाट के स्थान पर जाति खत्री दर्ज किया जावे व जमाबंदी संवत 2069–74 में उक्त आराजी के बाबत घनश्याम की जाति पंजाबी जाट दर्ज की है जो पंजाबी जाट के स्थान पर जाति खत्री दर्ज की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट मे अंकन किया है कि मुताबिक मिसल बन्दोबस्त संवत 2051–70 वाके ग्राम अण्डवाडा तहसील अलवर साबिक खन० 544 रकबा 02 बीघा घनश्यामलाल पुत्र केवलराम मुखीजा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त साबिक ख0न० 544 रकबा 02 बीघा के मुताबिक मिसल बन्दोबस्त 2051 हाल ख0न0 793 रकबा 0.51 है० किस्म बारानी उत्तम कायम हुये जमाबंदी संवत 2069–72 वाके ग्राम भण्डवाडा तहसील अलवर में खाता संख्या 68 में दर्ज ख0न0 793 रकबा 0.51 किस्म बारानी उत्तम घनश्यामलाल पुत्र केवलराम मुखीजा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसमें जाति का अंकन नहीं है जमाबंदी संवत 2041–44 में उक्त साबिक ख0न0 544 रकबा 02 बीघा किस्म बारानी अव्वल चन्दरभान पुत्र चिम्मनलाल जाति खत्री खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है उक्त खसरा नम्बर पर नामा० संख्या 318 बैय का नोट अंकित है। नामा० संख्या 318 वाके ग्राम भण्डवाडा का अवलोकन करने पर अवगत हुआ कि जयै बेचान विक्रेता हरकिशनलाल पुत्र दयालराम कौम खत्री सा. देह खातेदार ने ख0 न० 544 रकबा 02 बीघा चन्द्रभान पुत्र चिम्मनलाल जाति खत्री खातेदार को बेचान किया गया है

इसके पश्चात जमाबंदी संवत 2045 में उक्त साबिक ख0न0 544 रकबा 02 बीघा चन्दरभान पुत्र चिम्मनलाल जाति खत्री खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। लेकिन इसके पश्चात भू–प्रबंध संक्रिया के दौरान भू–प्रबंध विभाग द्वारा तैयार की गई मिसल बन्दोबस्त 2051–70 में साबिक ख0न0 544 रकबा 02 बीघा हाल ख0न0 793 रकबा 0.51 है० पर घनश्यामलाल पुत्र केवलराम मुखीजा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड किया गया चन्द्रभान पुत्र चिम्मनलाल जाति खत्री से किस नामान्करण के तहत मिसल में घनश्यामलाल पुत्र केवलराम मुखीजा सा. देह खातेदार का नाम दर्ज हुआ इसका संधारित राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होना पाया गया जिससे यह स्पष्ट हो कि वक्त नामा० घनश्यामलाल पुत्र केवलराम मुखीजा की जाति दर्ज की

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

ई थी अथवा नहीं। आनलाईन जमाबंदी सेग्रीगेशन कार्य को दौरान ख0न0 793/0.51 वाके ग्राम भंण्डवाडा तहसील अलवर पर घनश्यामलाल पुत्र कैवलराम जाति पंजाबी जाट दर्ज रिकार्ड हुआ कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अन्य रेवेन्यू रिकार्ड में घनश्याम पुत्र केवलराम मुखीजा जाति खत्री दर्ज रिकार्ड है जिसकी भी जाँच राजस्व रिकार्ड से की गई।

अन्य खसरा नम्बरान ख0न0 351/0.26, 352/0.25, 623/0.30, 776/0.60, 777/0.15, 789/0.20 किला 06 रकबा 1.76 है० घनश्याम पुत्र केवलराम हिस्सा पूर्ण जाति खत्री सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिसल बन्दोबस्त संवत 2051 वाके ग्राम भंडवाडा तहसील अलवर खाता संख्या 121 में दर्ज उक्त ख0न0 351/0.26, 352/0.25, 623/0.30, 776/0.60, 777/0.15, 789/0.20, साविक ख0न0 142, 143, 538, 522 से कायम हुये है। उक्त साबिक खसरा नम्बरान पर मिसल बन्दोबस्त संवत 2051 में चुन्नीलाल, घनश्याम पि. केवलराम जाति खत्री सा. देह स.भा. खातेदार दर्ज रिकार्ड है जिसके कारण हाल जमाबंदी में भी उक्त हाल खसरा नम्बरानो पर घनश्याम पुत्र केवलराम जाति खत्री खातेदार दर्ज रिकार्ड है एंव मुताबिक संलग्न पंजीकृत दानपत्र संख्या 202003069100162 दिनांक 21.01.2020 की छायाप्रति उक्त हाल खसरा नम्बर उक्त ख0न0 351/0.26, 352/0.25, 623/0.30, 776/0.60, 777/0.15. 789/0.20 एवं ख0न0 793/0.51 का दान घनश्याम पुत्र केवलराम जाति खत्री निवासी ग्राम भंडवाडा तहसील व जिला अलवर द्वारा नितिन कुमार पुत्र स्व० ओमप्रकाश मुखीजा पौत्र घनश्याम जाति खत्री निवासी सरदार कोलोनी, एरोड्रम रोड शहर अलवर के पक्ष में किया गया है उक्त पंजीकृत दानपत्र में प्रार्थी के दादा का नाम घनश्याम एवं जाति खत्री दर्ज रिकार्ड है एवं ख0न0 793/0.51 के अतिरिक्त प्रार्थी के दादा के नाम दर्ज खसरा नम्बरानो पर भी प्रार्थी के दादा का नाम घनश्याम एवं जाति खत्री दर्ज रिकार्ड है। वक्त आनलाईन जमाबंदी सेग्रीगेशन कार्य, ख0न0 793 वाके ग्राम भण्डवाडा पर प्रार्थी के दादा घनश्याम की जाति पंजाबी जाट इन्द्राज किया जाना प्रतीत होता है अतः मुताबिक पंजीकृत दानपत्र एवं मिसल बन्दोबस्त संवत 2051 वाके ग्राम भंण्डवाडा तहसील अलवर के खाता संख्या 121 में दर्ज इन्द्राजो के आधार पर ख0न0 793 रकबा 0.51 है० वाके ग्राम भण्डवाडा तहसील अलवर पर प्रार्थी के दादा का नाम घनश्यामलाल के स्थान पर घनश्याम एवं जाति पंजाबी जाट के स्थान पर खत्री किया जाना उचित है की रिपोर्ट भिजवाई है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है। भू0 अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू–प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया है तो उसको दुरूष्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी.2018(2) 1158 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा–7 में यह अभिर्निधारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरूष्त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न प्रा0पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा शुद्विकरण के लिये उक्त

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

संशोधन के सम्बन्ध मे वाछित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है तथा जिसका समर्थन तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट एंव अभिशंषा से भी होता है अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 मे पोषणीय होने के कारण प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि खसरा नम्बर 793 रकबा 0.51 है० वाके ग्राम भण्डवाडा तहसील अलवर पर प्रार्थी के दादा का नाम घनश्यामलाल के स्थान पर घनश्याम एवं जाति पंजाबी जाट के स्थान पर खत्री दर्ज कर राजस्व रिकार्ड अंकित किया जाकर दुरूस्त किया जावे। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 11.6.24 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

Scanned with OKEN Scanner